उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-744/2021/4519/41-2021-213(बजट)/2021
लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

संख्या-675 /2021/आई/118783/41-1002(001)/141/2021-17(जि0यो0)/2021, दिनांक 02.12.2021

का शुद्धि पत्र

संयुक्त निदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-5988/7-1-1/(जि0यो0)/मू0पत्रा0/2021-22, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार **जिला योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़**, **कन्नौज**, **औरैया**, **हापुड़**, **बागपत एवं शामली के पर्यटन विकास कार्य कराये जाने** हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश **संख्या-675/2021/आई/118783/41-1002(001)/141/2021-17(जि0यो0)/2021, दिनांक 02.12.2021** के पृष्ठांकन के क्रम संख्या-5 पर वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ़, कन्नौज, औरैया, हापुड़, बागपत एवं शामली अंकित है। जबकि इसके स्थान पर वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़, कन्नौज, औरैया, हापुड़, बागपत, शामली एवं गोरखपुर अंकित होना चाहिए था।

2. अतः एतद्द्वारा शासनादेश **संख्या-675/2021/आई/118783/41-1002(001)/141/2021-17(जि0यो0)/2021, दिनांक 02.12.2021** के पृष्ठांकन के क्रम संख्या-5 पर वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ़, कन्नौज, औरैया, हापुड़, बागपत एवं शामली के स्थान पर वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़, कन्नौज, औरैया, हापुड़, बागपत, शामली एवं गोरखपुर अंकित किया जाता है। तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 02.12.2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़, कन्नौज, औरैया, हापुड़, बागपत एवं शामली
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़, कन्नौज, औरैया, हापुड़, बागपत, शामली एवं गोरखपुर।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ यू0पी0पी0सी0एल0/सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम लखनऊ।
9- सम्बन्धित जिलों की कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धक/अधिशाषी अभियन्ता एवं सहा0 परियोजना प्रबन्धक को महानिदेशक, पर्यटन अपने स्तर से जारी करें।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- सम्बन्धित जिलों के क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी ।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in